>

Title: Need to enhance Central Government's share in centrally sponsored schemes for Uttarakhand.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2001-02 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था तथा यह इंगित किया गया थ कि पूर्वोत्तर एवं सिक्किम विशेष श्रेणी राज्यों की भांति उत्तराखंड को केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । यहां यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्ष 2001-02 से विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत अभी भी 50 : 50, 66 : 34, 75 : 25, 80 :20 आदि अनुपातों में वित्त पोषण हो रहा है जबकि इन सभी अंश आधारित केन्द्र पोषित योजनाओं का वित्त पोषण 90 : 10 के अनुपात में होना चाहिए । इस प्रकरण पर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया गया है । वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक की अवधि की अवशेष धनराशि लगभग 2000 करोड़ रूपये एक मुश्त विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत की जाये । यदि यह धनराशि उत्तराखंड को प्रतिवर्ष मिलती रहती तो अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में यह प्रदेश काफी बेहतर स्थिति में होता ।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि विशेष श्रेणी का राज्य होने के नाते उत्तराखंड राज्य को सभी अंश आधारित केन्द्र पोषित वित्त योजनाओं का वित्त पोषण पूर्वोत्तर विशेष श्रेणी राज्यों की भांति 90 : 10 के अनुपात में किया जाये ।